बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन सफाई कार्य

2378. **श्री गया सिंह:** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र के अधीन एश पॉण्ड के सफाई कार्य को अपने संबंद्ध विभाग द्वारा कराने की बजाय हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच॰एस॰सी॰एल) को दिये जाने के क्या कारण हैं, और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) इस समय बोकारो इस्पात संयंत्र के राख तालाब (एश पाण्ड) में भारी मात्रा में राख इकट्ठी हो गई है जिसे एक निश्चित अवधि में साफ किया जाना है। इसमें सफाई कार्य के साथ-साथ भारी मात्रा में सख्त को हटाना और ढोना भी शामिल हैं। पर्याप्त स्थान बनाने के लिए राख-तालाब से राख निकालना अनिवार्य है ताकि प्रचालन कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

इस विशिष्ट कार्य के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र के पास बड़ी संख्या में अपेक्षित अर्थ मूविंग उपस्कर नहीं हैं। अतः यह कार्य विभागीय तौर पर नहीं किया जा सकता है। अतः इस कार्य को मैसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि॰ जिनके पास ऐसे बड़े कार्य करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, को सौंपा गया है और वे इसे कार्यान्वित कर रहे हैं।

इस्पात क्षेत्र में किया गया कुल पूंजीगत निवेश

2379. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1997 को इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय से इस्पात क्षेत्र में कुल कितना पूंजीगत निवेश किया गया;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ग) देश में इस्पात की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस्पात क्षेत्र में और अधिक निवेश करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) इस्पात क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है बल्कि 1991 से इस क्षेत्र पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है और अब निजी क्षेत्र स्थान संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर बगैर किसी लाइसेन्स के लोहे और इस्पात का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित कर सकता है।

31.3.96 की स्थिति के अनुसार इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें संबंद्ध खनिजों के खनन व्यापार, निर्माण इत्यादि में लगे उपक्रम भी शामिल हैं, द्वारा कुल निवेश (अर्थात् निवल अचल परिसंपत्तियां और कार्यशील पूंजी) लगभग 24,932 करोड़ रुपए है।

(ख) इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए आठवीं योजनावधि के दौरान कुल परिव्यय लगभग 14,949 करोड़ रुपए प्रत्याशित है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के लिए लोहे और इस्पात संबंधी कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ 52,174 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश प्रक्षेपित किया है जिसमें से 19,681 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के संबंध में हैं। शेष निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना है।

"सेल" द्वारा साख-पत्र के बिना ही माल की आपूर्ति

2380. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेल" द्वारा बिना किसी साख-पत्र अथवा प्रतिभूति के कुछ निजी पार्टियों/व्यक्तियों को ऋण देने और माल की आपूर्ति के कारण उसे भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) "सेल" के अनुसार, वह ऋण सुविधाएं नहीं देता, अपितु कुछ मानदण्डों पर आधारित स्वीकार्य वाणिज्यिक पद्धति के रूप में रक्षित/अरक्षित पेशगियां देता है। जब भी कभी विलम्ब होता है, "सेल" लागू ब्याज सहित राशि वसूलता है और इस प्रकार "सेल" का इस प्रकार के सौदों में भारी हानि नहीं उठानी पड़ती है।